कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,
Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक : 319 दिनांक : 19.02.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
–सह–
कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :– मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल–101.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्राासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक परियोजना मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमंडल–101.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में तीन बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की मांगी गई है।

उक्त याचित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 114 दिनांक 15.02.2025 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 271 दिनांक 05.02.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न अग्रतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पांच प्रतियों में भेजी जा रही है।

आपका विश्वासी,

अनु0–यथोक्त।

19/02/25

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

CCL Magadh OCP 121.29 ha. dt- 19-02-2025

कार्यालय – वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा

वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401

फोन नं0 – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक – 114 दिनांक – 15/02/25

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय– मे0 सी0सी0एल0 का मगध रेलवे साईडिंग निर्माण हेतु कुल–121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल–| 17.01 हे0 एवं लातेहार प्रमंडल– 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 72 दिंनाक 21.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसके आलोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 271 दिनांक 05.02.2025 द्वारा निराकरण कर निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है जो निम्नवत् है :–

क्रम सं0	त्रुटियाँ	निराकरण
01	परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML में निरंतरता (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना में गैर वनभूमि का KML अपलोड नहीं है। वनभूमि/गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं गैर वनभूमि का KML अलग–अलग रंगों में दर्शाया जाना आवश्यक है। अतएव वनभूमि/गैर वनभूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि 17.01 हे0 (अधिसूचित वनभूमि) का KML निरंतरता (Continuity) में अपलोड कर दिया गया है।
02	परियोजना में वनभूमि/गैर मंजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये गये Violation के विरूद्ध वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिना पुर्वानुमति के अपयोजित क्षेत्र कुंडी वन सीमा के अन्दर रेल लाईन बिछाने के लिए मिट्टी भराव का कार्य किया गया जो वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। उक्त उल्लंघन के विरूद्ध वन क्षेत्र पदाधिकारी, टण्डवा प्रक्षेत्र द्वारा सी0सी0एल0 एवं RITES के दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध

		अपराध प्रतिवेदन संख्या–P-16 एवं C.C No. 414/2019 द्वारा IFA, 1927 के तहत वन मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा प्राप्त अपराध प्रतिवेदन को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा चुकी है। उक्त मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
03	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट– में लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा–बालु का अपलोड KML File उचित Format में नहीं रहने के कारण खुल नहीं पा रहा है। इसे proper रूप में KML File को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से संबंधित नहीं है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा समर्पित निराकरण प्रतिवेदन की छः मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,
ह0/–
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञापांक – 124 दिनांक – 15/02/25

प्रतिलिपि – वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को उनके पत्रांक 271 दिनांक 05.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/02/2025

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चतरा।